# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
## मध्यप्रदेश

**क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2017/1265-ਪ** **भोपाल, दिनांक** 23/12/2017

**:: आदेश ::**

संचालनालय के आदेश कमांक 02/अवि./सेल–टी.पी./251/2017/586–**B** भोपाल, दिनांक 16.07.2017 के सरल कमांक 01 पर अंकित श्रीमती ममता पुरोहित, सहायक ग्रेड–3 जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल का प्रशासकीय स्थानांतरण मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,विदिशा के अधीन किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्रीमती पुरोहित द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका कमांक 13333/2017 दायर की जिस पर मान.उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.09.2017 में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को संबंधित के अभ्यावेदन का निराकरण करने के निर्देश दिये गये है।

मान.उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.09.2017 के पालन में श्रीमती पुरोहित द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनके द्वारा स्वयं म.प्र.तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव पदाधिकारी नियुक्त होने के आधार पर स्थानांतरण नीति अनुसार कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को छूट का प्रावधान होने, स्वयं के विरूद्ध कोई भी शिकायत नहीं होने तथा शासन द्वारा आई.एफ. एम.आई.एस. साफ्टवेअर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाने का लेख करते हुए भोपाल से विदिशा किया गया स्थानांतरण निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है ।

श्रीमती पुरोहित द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दुओं, स्थानांतरण नीति एवं प्रकरण में माननीय न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरांत श्रीमती ममता पुरोहित सहायक ग्रेड–3 का जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल से मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,विदिशा के अधीन किया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए श्रीमती पुरोहित को अधीक्षक,कैलाश नाथ काटजू चिकित्सालय भोपाल में पदस्थ किया जाता है ।

**<u>"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"</u>**

23/12

**(विवेक श्रोत्रिय)**
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

**क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./ 2017/1266-ਪ** **भोपाल, दिनांक** 23/12/2017

**प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –**

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश में उल्लेखित न्यायालय प्रकरण के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–भोपाल/विदिशा मध्यप्रदेश।
6. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला– भोपाल मध्यप्रदेश।
7. अधीक्षक,शासकीय कैलाश नाथ काटजू चिकित्सालय, भोपाल म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला– भोपाल/विदिशा मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा, स्थानीय कार्यालय।
10. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
11. आदेश नस्ती ।

23/12

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश